



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 10/XXXVI(3)/2010/15(1)/2009

देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘देव संस्कृति विश्वविद्यालय, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009’ पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2010)

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के
स्थान पर
उत्तराखण्ड पढ़ा
जाना

2-देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2002) में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तरांचल आया है वहाँ "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की
उपधारा (1) के
खण्ड (घ) एवं
(थ) का
प्रतिस्थापन

3-मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) एवं (थ) के स्थान पर निम्न खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात्-

“(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकार्रिंग), इन्टरनेट पर आनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई-लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;”

“(थ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं शिक्षा निर्देशों का पालन करेगा;”

धारा 4 की
उपधारा (5) का
प्रतिस्थापन

4-मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

“(5) देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्यालय शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तराखण्ड में स्थित होगा और वह अपनी अधिकारिता के अन्दर राज्य में ऐसी अन्य जगहों पर भी अपने परिसर स्थापित कर सकता है।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।